

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग-2
(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
बुधवार, 08 फरवरी, 2006/माघ 19 ,1927 (शक)

संख्या- 123

विषय:- सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली को सम्बोधित, पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-
“मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों सर्वश्री डॉ.हर्षवर्द्धन,डॉ.जगदीश मुखी,जय भगवान अग्रवाल,मोती लाल सोढी,पूरन चन्द योगी,रमेश विधुड़ी,मोहन सिंह बिष्ट,साहब सिंह चौहान,सुभाष सचदेवा,कुलवन्त राणा तथा धर्मदेव सोलंकी को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत, दिनांक 07.02.2006 को 1235 बजे, प्रथम बैरिकेड,संसद मार्ग, नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।

उन्हें, उसी दिन, उसी स्थान से 1255 बजे रिहा कर दिया गया”।

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)
Wednesday, 08th February 2006/ 19 Magha 1927 (Saka)

No. 123

Sub: **DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS**

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from DCP, New Delhi

"I have the honour to inform you that S/Shri Dr. Harshvardhan, Dr. Jagdish Mukhi, Jai Bhagwan Agarwal, Moti Lal Sodhi, Puran Chand Yogi, Ramesh Bidhuri, Mohan Singh Bisht, Sahab Singh Chauhan, Subhash Sachdeya, Kulwant Rana and Dharam Dev Solanki, were detained u/s 65 of Delhi Police Act, 1978 from Ist Barricade, Parliament Street, New Delhi at 1235 Hrs. on 07.2.2006.

They were released at 1255 Hrs. from the same place on the same date."